रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 1987/फाल्गुन 22, 1908
No. 115] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 1987/PHALGUNA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

कर अनुसंधान एकक

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1987

अधिसूचना

सं. 129/87–सीमाशुल्क

सा. का. नि. 283 (अ):– केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 329/76–सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त,

1976 को अधिक्रांत करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की दूसरी अनुसूची के शीर्ष सं. 8 के अंतर्गत आने वाले सभी किस्म के अभ्रक को, जिसके अंतर्गत अभ्रक स्क्रैप और अपशिष्ट नहीं है, जब उसका भारत के बाहर निर्यात किया जाए, उक्त दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से छूट देती है।

[फा. सं. 347/1/87–टीआरयू(सीयु)]
टी. जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Tax Research Unit

New Delhi, the 13th March, 1987

NOTIFICATION

NO. 129|87-CUSTOMS

G.S.R. 283(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 329|76-Customs, dated the 2nd August, 1976, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts mica of all varieties but excluding mica scraps and wastes, falling under heading No. 8 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said Second Schedule.

[F. No. 347|1|87-TRU(CUS)]
T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987